मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 (अग्रहायण 21, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डा. भंवर सिंह पोर्ते, राज्य मंत्री, पशुधन डेयरी विकास, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री ललित जैन, अशोक शुक्ला, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य उज्जैन की विनोद मिल तथा इन्दौर की हुकुमचंद मिल बंद होने से श्रमिकों में बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, श्री नंदकुमार पटेल, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र में घटित लूट की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर डिस्टलरी एवं रायरू डिस्टलरी के पानी से प्रदूषण फैलने की ओर राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सदस्य बुरहानपुर के हजारों पावर लूम बंद होने से बेरोजगारी की उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11, अटेर से निर्वाचित सदस्य श्री मुन्नासिंह भदौरिया को दिसम्बर, 1991 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, सभापति आश्वासन समिति का सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) डा. शक्राजीत नायक, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगेः-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, जिला रीवा तहसील रायपुर कर्चुलियान के रघुराजगढ़ के सार्वजनिक आम निस्तार की शासकीय आराजी नं. 732 का अवैध अतिक्रमण हटाकर आम निस्तार एवं रास्ता हेतु बहाल किये जाने,

(2) ठा. दरबार सिंह, सदस्य, जिला राजनांदगांव के महराजपुर में पशु चिकित्सालय खोलने,

(3) श्री रामानंद सिंह, सदस्य-

(क) जिला सतना के ग्राम पड़मनिया जागीर व कोठार में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु स्टाप डेम बनाने,
(ख) जिला सतना ग्राम सोरा में जूनियर हाईस्कूल खोले जाने,
(ग) जिला सतना के ग्राम गोहानी में हाईस्कूल भवन के निर्माण,
(घ) जिला सतना के ग्राम मेहती में हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोलने,
(ड.) जिला सतना के ग्राम भरजुना में हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोलने,

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य-

(क) जिला दुर्ग ग्राम भटिया में विद्युत लगाने हेतु,
(ख) जिला दुर्ग ग्राम परसदा में सिंचाई नलकूप लगाये जाने,
(ग) जिला दुर्ग ग्राम बरही में उच्चतर माध्यमिक शाला की स्थापना किये जाने,
(घ) जिला दुर्ग ग्राम पोण्डी में पशु चिकित्सालय खोलने,
(ड.) जिला दुर्ग ग्राम पोण्डी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(च) जिला दुर्ग ग्राम भोथली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,
(छ) जिला दुर्ग ग्राम बरही में प्रा. उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ज) जिला दुर्ग ग्राम सांकरा में शासकीय औषधालय में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद की पूर्ति करने,
(झ) जिला दुर्ग ग्राम नरनिमारापा में बिजली की मांग,
(त) जिला दुर्ग, विकासखण्ड गुरूर के ग्राम बड़भूम में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा हाईस्कूल खोले जाने,
(थ) जिला दुर्ग ग्राम दरबारी नवागांव में शासकीय ट्यूबवेल लगाने,
(द) जिला दुर्ग ग्राम धौरामांठी में शासकीय शाला भवन का निर्माण किये जाने,
(ध) जिला दुर्ग ग्राम बड़भूम में शासकीय नलकूप स्थापित करने,
(न) जिला दुर्ग ग्राम पोण्डी में हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा केन्द्र एवं उच्चतर माध्यमिक एवं 12 वीं कक्षाएं खोलने,
(य) जिला दुर्ग ग्राम मुल्ले गुंडा में विद्युत लाईन प्रदाय करने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, दिनांक 24 जुलाई, 1990 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्रमांक 4539) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 1991-92 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

4 बजे तक

"दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28, 29,30,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,55,56,59,62, 64,65,66,67,68,70,72, एवं 73 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ छियालीस करोड़, अट्ठावन लाख, छत्तीस हजार सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

5.30 बजे तक

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 1991 (क्रमांक 28 सन् 1991) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे की विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल
दिनांक 11 दिसम्बर, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा